मॉड्यूल 3

बच्चों के अधिकार

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

बच्चों के अधिकार

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)
173-ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017
फोन : 91-11-29541841/29541858
फैक्स : 91-11-29542464,
ई-मेल : cec@cec-india.org, **वेबसाइट** : www.cec-india.org

मई 2018

परिकल्पना एवं रचना :
दी इन्फॉर्मेशन ऐण्ड फीचर ट्रस्ट
लक्ष्मी (कैयदम), तोंडयाड, कालीकट - 17
सामग्री निर्माण : **विवेक सिंह**
विजुअल प्रस्तुति : **रीचा चंद्रा**

यह मॉड्यूल **सीईसी** द्वारा **प्रयास** एवं **टेरे डे होम्स (टीडीएच)** की साझेदारी में और **यूरोपीय यूनियन** की वित्तीय सहायता से चलायी जा रही परियोजना **'एम्पॉवरिंग सीएसओज़ फॉर डीसेंट वर्क ऐण्ड ग्रीन ब्रिक्स इन इंडियाज़ ब्रिक किल्न्स'** के अंतर्गत तैयार किया गया है।

‘बच्चा’ कौन होता है?

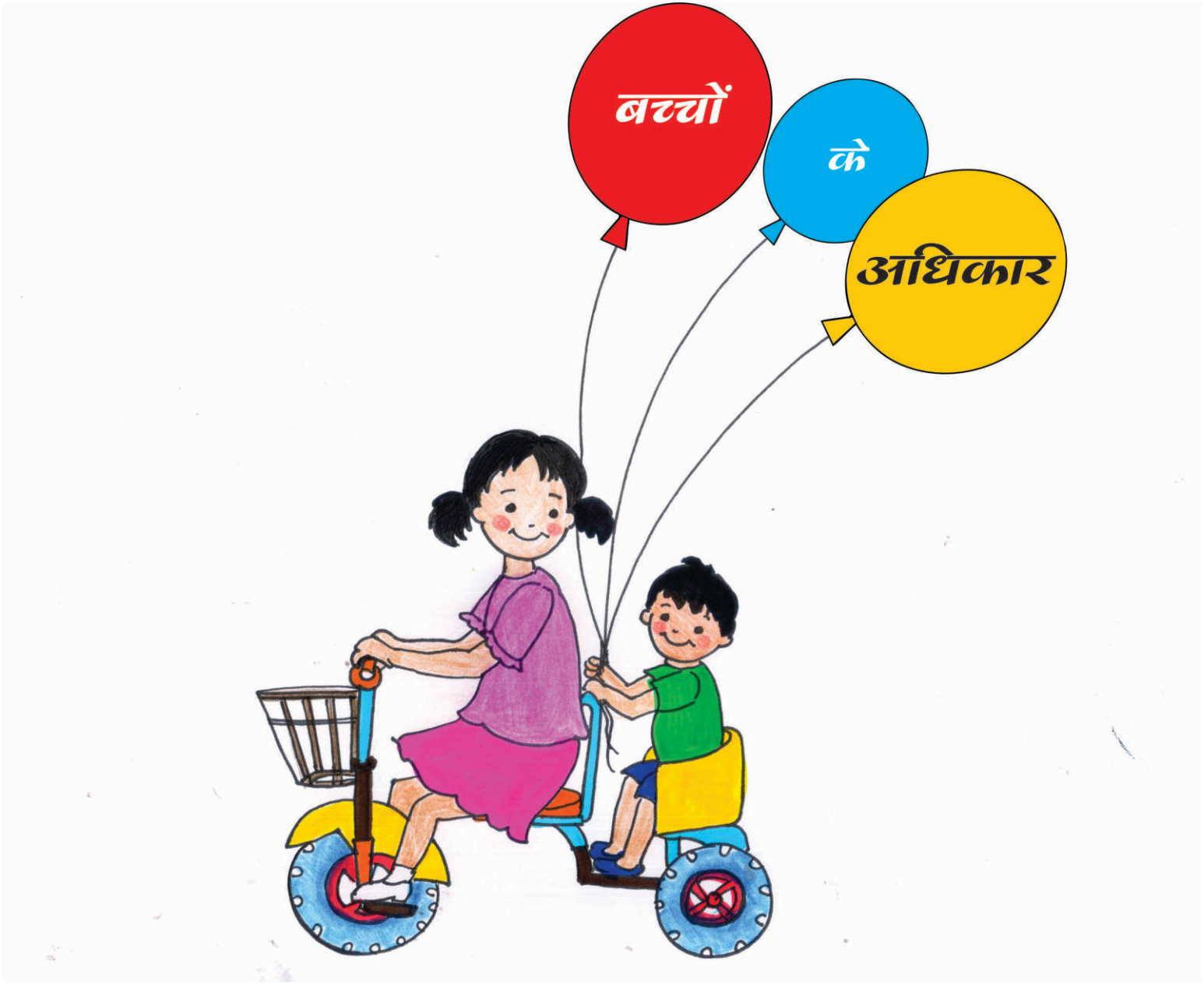

‘बच्चा’ कौन होता है?

‘बच्चे’ की परिभाषा उसकी उम्र के आधार पर तय की जाती है।

कानून	परिभाषा
फैक्ट्री कानून, 1948	जिसने 14 साल की उम्र पूरी नहीं की है, वह बच्चा है।
प्रशिक्षु कानून (1961)	जिसकी उम्र 14 साल नहीं हुई है उसे बच्चा माना जाएगा।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा कानून, 2000)	जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे बच्चा माना जाएगा।
बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून, 1986	जिसकी उम्र 14 साल से कम है। इस कानून में ‘किशोर/किशोरी’ के रूप में एक और श्रेणी भी दी गई है। इसके अनुसार, 14 से 18 साल की उम्र के व्यक्ति को ‘किशोर/किशोरी’ माना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएन-सीआरसी), 1989	18 साल से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा सिवाय उन देशों के, जहां 18 साल से कम उम्र में बालिग मानने का कानून लागू हो।

बच्चों के अधिकार क्या होते हैं?

बच्चों के अधिकार क्या होते हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (सीआरसी) के मुताबिक बाल अधिकार ऐसी न्यूनतम स्वतंत्रता और लाभ हैं जो किसी भी नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, मत, जन्मस्थान, आर्थिक स्थिति, जन्म की स्थिति या क्षमता वाले 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को मिलने चाहिए। सीआरसी में 18 साल से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा बताया गया है बशर्ते किसी देश में बालिग होने की उम्र इससे कम तय न की गई हो।

अपने दोनों माता-पिता के साथ रहना-मिलना, एक इंसानी पहचान और शारीरिक सुरक्षा, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि को बच्चों का अधिकार माना जाता है।

बाल अधिकार

नि:शुल्क व
अनिवार्य शिक्षा
का अधिकार
सम्मान के साथ
जीने का अधिकार
स्वास्थ्य
का अधिकार
बच्चों के
अधिकार
विकास
का
अधिकार

बाल अधिकार

बाल अधिकार संधि (सीआरसी) के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के निम्नलिखित अधिकार तय किए हैं :

- जीवन/उत्तरजीविता का अधिकार
- अपने परिवार के साथ होने/रहने का अधिकार (जहां तक संभव हो)
- अभिव्यक्ति, सोच और अंतरात्मा का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- विशेष देखभाल का अधिकार (यदि आवश्यकता हो)
- नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार
- क्रूर सजा और शोषण से सुरक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण का अधिकार
- आमोद-प्रमोद और विकास का अधिकार
- संस्कृति, धर्म और भाषा का अधिकार

इस कन्वेंशन पर सहमत होने और इस पर हस्ताक्षर करने के चलते भारत भी बच्चों के इन मूलभूत अधिकारों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अगर बाल मजदूर गैर-कानूनी है
तो भट्ठों में बच्चों से काम क्यों कराया जाता है?

अगर बाल मजदूर गैर-कानूनी है तो भट्टों में बच्चों से काम क्यों कराया जाता है?

सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईंट भट्टों में जो मजदूर काम करने आते हैं वे आमतौर पर अपने पूरे परिवार को लेकर भट्टे पर आते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। ये बहुत ही गरीब परिवारों के लोग होते हैं इसलिए उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वे अपने घर में बच्चों को किसी के पास छोड़कर आ सकें। जब वे काम करने के लिए भट्टे पर आते हैं तो यहां उन्हें बच्चों को पढ़ाने की सुविधा भी नहीं मिलती। ऊपर से मां बाप के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकें। उनकी आमदनी बहुत कम और अस्थिर होती है इसलिए वे इन खर्चों के बारे में कोई योजना नहीं बना सकते। इसके चलते बच्चों के पास भी अपना घर-बार छोड़कर मां-बाप के साथ दूसरे राज्य में भट्टे पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

दूसरी बात यह है कि भट्टों में मजदूरी आमतौर पर पीस रेट पर मिलती है। यह भुगतान पूरे परिवार के नाम पर किया जाता है। इसकी वजह से भी मां-बाप ये चाहते हैं कि बच्चे उनका हाथ बंटाएं ताकि कमाई थोड़ी और बढ़ जाए। मालिक, ठेकेदार और भट्टों के सुपरवाइजर भी सही बात पर जोर देते हैं कि मजदूर अपने बच्चों को भी साथ लाएं।

अगर बाल मजदूर गैर-कानूनी है तो भट्टों में बच्चों से काम क्यों कराया जाता है?

तीसरी बात, चूंकि इनमें से ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और भट्टे पर क्रेच या बालवाड़ी की सुविधा नहीं होती इसलिए ये प्रवासी बच्चे भी अपने मां-बाप के साथ काम करने लगते हैं।

एक ताजा अध्ययन के मुताबिक, भट्टों में काम करने वाले कुल मजदूरों में से एक तिहाई बच्चे होते हैं और इन बच्चों में से तकरीबन ७०ः की उम्र ६ से १४ साल के बीच होती है।

बाल मजदूरी क्या होती है?

बाल मजदूरी क्या होती है?

अगर बच्चों को पार्टटाइम या फुलटाइम किसी ऐसे कमाऊ काम में लगाया जाता है जो उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसे बाल मजदूरी माना जाएगा।

बाल मजदूरी की परिभाषा 1982 की वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, आईएलओ (बाल मजदूरी के निकृष्ट रूप कन्वेंशन 1999) से शुरू होती है। इस कन्वेंशन में बाल मजदूरी को इस तरह परिभाषित किया गया था :

"(क) सभी प्रकार की दासता अथवा उससे मिलते-जुलते व्यवहार, जैसे बच्चों की बिक्री और खरीद-फरोख्त, कर्ज बंधुआगिरी व दासता और जबरिया अथवा मजबूरन मजदूरी, जिसमें सैनिक टकराव के दौरान बच्चों को जबरन या अनिवार्य भर्ती करना भी शामिल है;

"(ख) ऐसा कोई भी काम जिसका स्वरूप या हालात बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता के लिए हानिकारक हों।"

"भट्टों में मजदूरी को बच्चों के लिए खतरनाक माना जाता है।"

भारत में बच्चों की सुरक्षा व कल्याण के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, जबरन भिक्षावृत्ति और अन्य प्रकार की जबरन मजदूरी पर पाबंदी लगाई गई है।

संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री या खान में या किसी भी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2017 की एक अधिसूचना के माध्यम से बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून 2017 में भी संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप भट्टों को भी खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब किशोर-किशोरियों को भट्टों में मजदूरी करने या अपने माता-पिता के लिए मददगार के तौर पर काम करने से रोक दिया गया है।

बच्चों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- पुलिस या चाइल्डलाइन को सूचना दें।
- इस बात का ख्याल रखें कि चाइल्डलाइन बच्चे को सही काऊंसलिंग और कानूनी सेवाएं मुहैया कराए।
- समुदाय को एकजुट करें।
- अपने कानूनों को जानें।

अपने बुनियादी कानूनों और उनके तहत दिए गए अधिकारों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षाओं को समझते हैं, तभी आप किसी बच्चे या उसके माता-पिता/अभिभावकों या समुदाय को कानूनी कदम उठाने के लिए राजी कर सकते हैं। कभी-कभी पुलिस/प्रशासन भी आपके सामने कठिनाई पैदा करता है। ऐसी स्थिति में कानून की जानकारी आपको पुलिस या प्रशासन से निपटने में भी मदद दे सकती है।

चाइल्डलाइन क्या है?

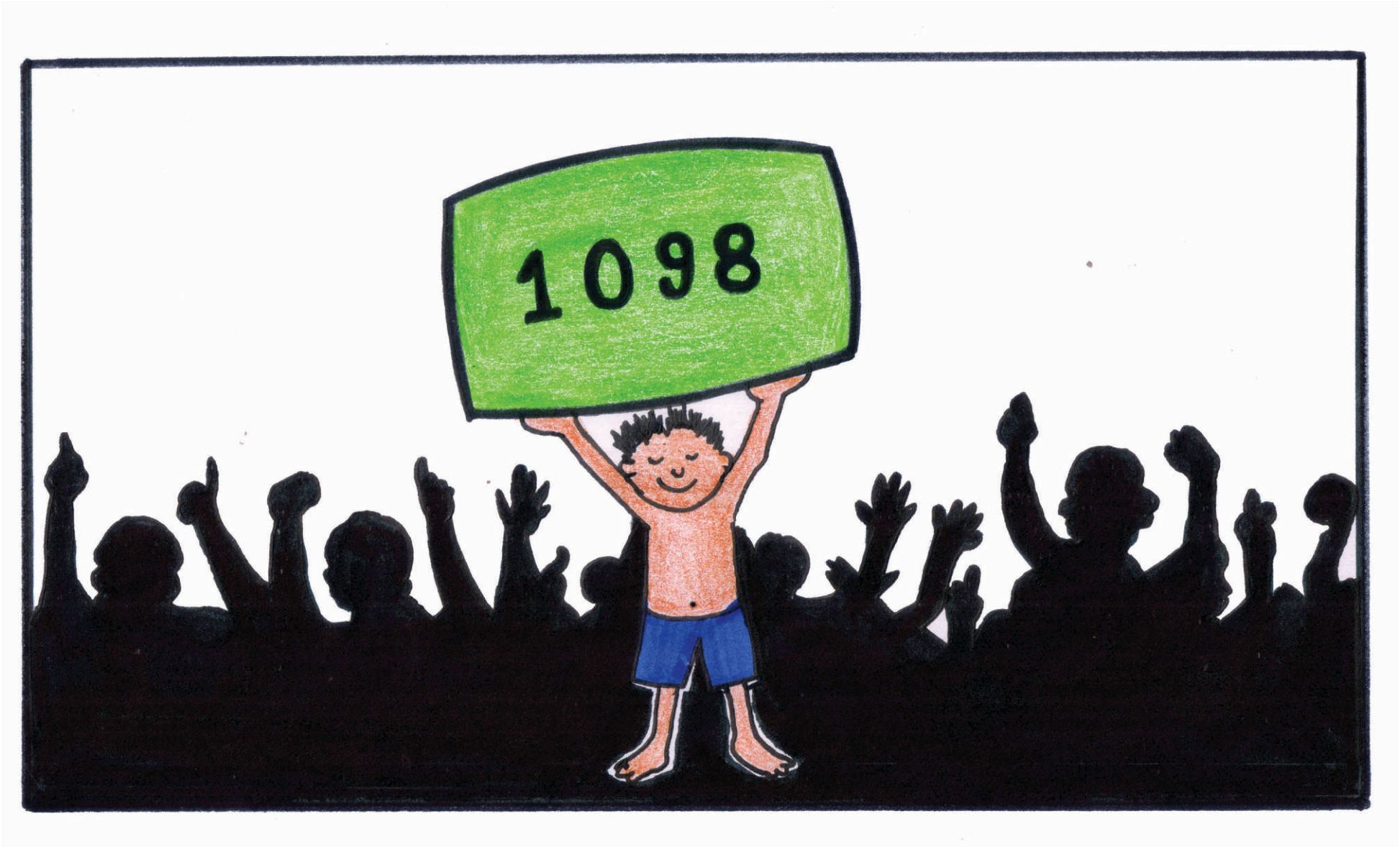

चाइल्डलाइन क्या है?

चाइल्डलाइन 1098 फोन नंबर एक महत्वपूर्ण फोन नंबर है। जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए चाइल्डलाइन से मदद ली जा सकती है। यह फोन सेवा पूरे देश में 24 घंटे चालू रहती है। इस पर फोन करने का कोई खर्चा आपको नहीं देना पड़ता और यह संकट की स्थिति में आपकी मदद का बंदोबस्त करती है।

संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए यह हमारे देश की पहली टेली-हेल्पलाइन है।

चाइल्डलाइन एक ऐसा मंच है जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, सड़कों और समुदायों के युवा, लाभ-निरपेक्ष संगठन, अकादमिक संस्थान, कॉरपोरेट जगत और संवेदनशील नागरिक, सभी मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं।

चाइल्डलाइन आमतौर पर सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। मगर सबसे ज्यादा जोर ऐसे बच्चों पर ही रहता है जिनको फौरन देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, खासतौर से भट्टों जैसे असंगठित व्यवसायों में काम करने वाले बाल मजदूरों पर।

आप बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1098 पर अपने मोबाइल फोन या लैंडलाइन से कभी भी फोन कर सकते हैं। इस पर फोन करने का कोई पैसा नहीं लगता और आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर तैनात लोग फौरन आपकी बात सुनते हैं और जरूरत के मुताबिक सीधी सहायता देते हैं।

बाल मजदूरी की वजह से कसता गरीबी का शिकंजा

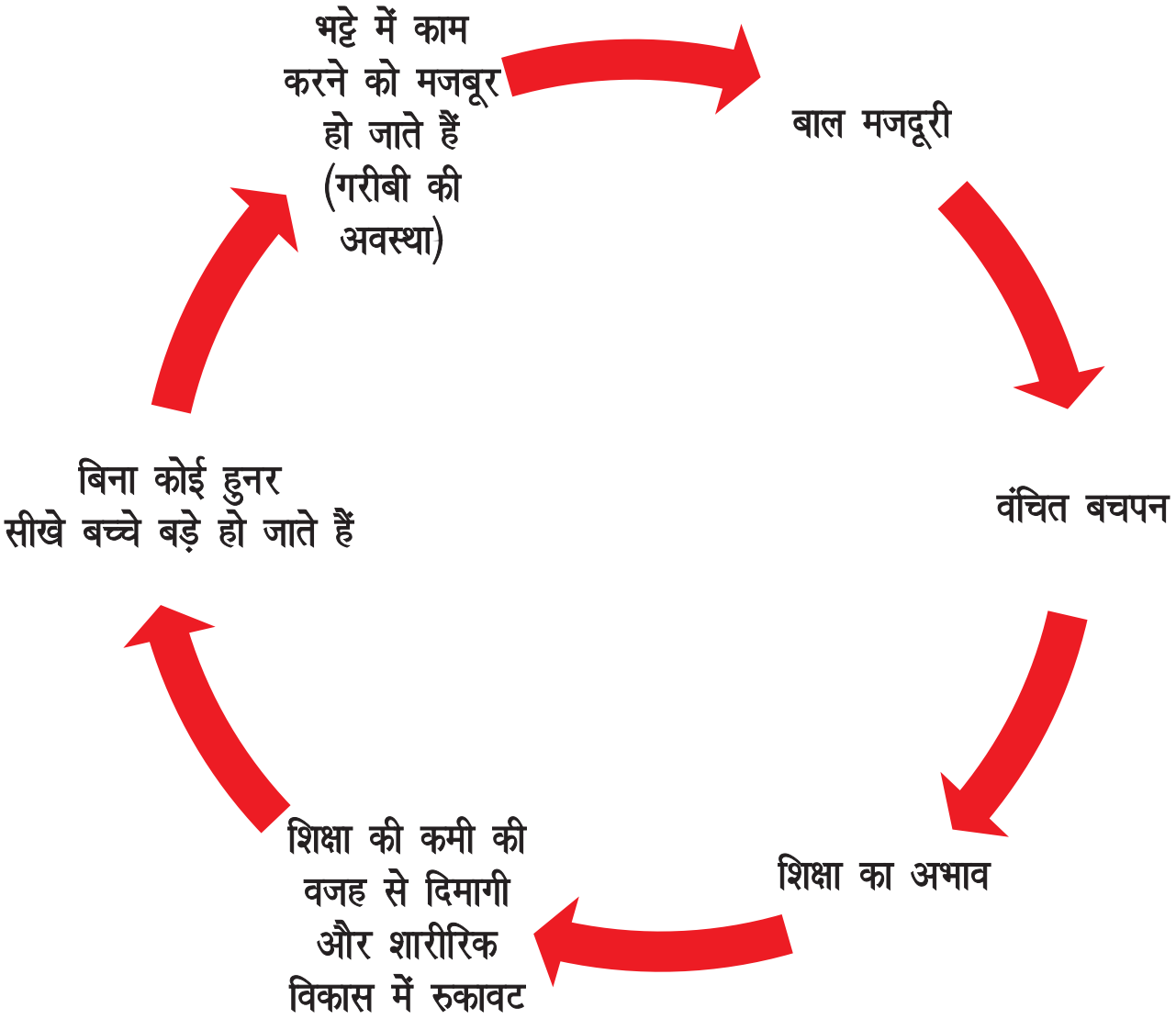

बच्चों को हक है सुखी, स्वस्थ्य सुरक्षित रहने का

यह समझना बहुत जरूरी है कि भट्टों में काम के हालात और जिंदगी के हालात का सबसे बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। जो बच्चे ऐसे स्थानों पर रहकर काम करते हैं उन्हें काम की किस्म, मजदूरी और शिक्षा के मामले में तरह-तरह के भेदभाव और बेदखली का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी आने वाली जिंदगी में भी मौके कम होते चले जाते हैं।

भट्टों पर बच्चे जिस तरह के काम करते हैं उनसे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि वे इस तरह के काम को करने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते।

वे इतनी कठोर स्थितियों में काम करते हैं कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। यह बात बच्चों के बुनियादी अधिकारों के भी खिलाफ जाती है। बाल मजदूरी के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ बहुत भयानक होते हैं।

भट्टों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं इसलिए आमतौर पर वे स्थानीय मजदूरों के मुकाबले ज्यादा भेदभाव और बेदखली झेलते हैं। ऊपर से उन्हें भाषाई भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इन मजदूरों के बच्चों को भी स्कूल के अधिकारियों व

बच्चों को हक है सुखी, स्वस्थ्य सुरक्षित रहने का

अध्यापकों तथा दूसरे बच्चों की तरफ से उनकी जाति, वर्ग और प्रवासी होने के कारण बार बार बेदखली और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अगर भट्टों पर अपने माता-पिता के साथ काम करने वाले सारे बच्चों को गिना जाए तो बाल मजदूरों की संख्या काफी ऊंची हो सकती है। उदाहरण के लिए, पथेरों (मोल्डरों) में बाल मजूदरी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे बाल मजदूरों की सही संख्या इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि उनके नाम हाजिरी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते या फिर रिकॉर्ड्स में उनकी उम्र बढ़ाकर लिख दी जाती है।

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाला असर

शारीरिक परिणाम

- काम की लंबी और थकान भरी पालियां :
- इससे बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति पर असर पड़ता है, उनके देखने और सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है।
- बच्चे का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- इसकी वजह से बच्चों में सांस संबंधी रोग, हड्डियों की समस्याएं, कैंसर वगैरह हो सकते हैं।
- खतरनाक पदार्थों या चीजों के आसपास रहने से बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो सकते हैं।

दिमागी परिणाम

- स्कूल में हाजिरी गिर जाने या पढ़ाई छोड़ देने की वजह से वे पूरी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते और न ही कोई नया हुनर सीख पाते हैं।

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाला असर

मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक खतरे

- इसकी वजह से बच्चे दूसरे बच्चों से कट जाते हैं, वे अवसाद या दिमागी विकृतियों के शिकार होने लगते हैं।
- खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों का समाज विरोधी कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है।
- बाल मजदूरी के कारण बच्चे अपने बचपन और आजादी को गंवा बैठते हैं।

बच्चों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने वाले कानून

बच्चों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने वाले कानून

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) कानून, 2000 तथा संशोधन कानून 2015 के तहत बच्चों के अधिकार

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) कानून, 2015 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराने पर पाबंदी लगा दी गई है। भट्टों में यह समस्या बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है।

जैसा कि इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है, यह प्रावधान "ऐसे बच्चों के लिए है जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है।" हो सकता है कि ये बच्चे बेघर हों या उनके पास रहने का कोई स्थानी ठिकाना न हो। हो सकता कि उनके पास पेट भरने का कोई साधन न हो। वे भीख मांगते हों या बाल मजदूरी करते हों। हो सकता है कि ये बच्चे गुमशुदा हों या उनके मां-बाप न हों।

इस कानून के तहत किसी किशोर-किशोरी या बाल मजदूर का शोषण एक ऐसा अपराध है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को तीन साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत किसी किशोर-किशोरी से खतरनाक स्थितियों में काम कराना या उसको समय पर और पूरी तनख्वाह न देना भी बाल मजदूर के शोषण की श्रेणी में आता है।

बच्चों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने वाले कानून

उपलब्ध समाधान

अगर बच्चा अकेला है और उसे देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है तो उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाता है (धारा 32)। यह समिति देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को उसके माता-पिता, अभिभावक, उचित संरक्षक या संस्थान के पास भेज सकती है धारा (39)(3)।

इस कानून के तहत राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वह प्रत्येक जिले में एक या दो बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) का गठन करेंगी। ऐसे बच्चे को किसी पुलिस अधिकारी, किसी सरकारी कर्मचारी, चाइल्डलाइन के कर्मचारी, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या समाजसेवी नागरिक द्वारा इस समिति (या उसके किसी सदस्य) के सामने पेश किया जा सकता है। इनके अलावा, देखभाल व सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे खुद भी इस समिति या इसके सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।

यह समिति ऐसे बच्चों को मुक्त कराने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद से काम करती है।

बच्चे के पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं

1. मुक्त कराए गए बच्चे को सबसे पहले सीडब्ल्यूसी के सामने ही पेश किया जाता है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी बच्चे के पुनर्वास के बारे में उचित फैसला लेती है।
2. आजाद कराए गए बच्चे को रिमांड में नहीं बल्कि सुरक्षित कस्टडी में रखा जाता है।
3. बच्चे को चिल्ड्रेन्स होम या बच्चों की किसी संस्था या शेल्टर होम या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है।
4. इसके बाद सीडब्ल्यूसी स्थिति का आकलन करती है और बच्चे को उचित सलाह देती है।
5. सीडब्ल्यूसी चार महीने के भीतर अपना अंतिम फैसला दे देती है। इस फैसले के मुताबिक या तो बच्चे को उसके मां-बाप के पास भेज दिया जाता है या उसे किसी शेल्टर होम में रख दिया जाता है, या उसे गोद लिवाने के लिए प्रयास किए जाते हैं या उसे लंबे समय के लिए किसी फॉस्टर होम में भेज दिया जाता है।

यहां सीडब्ल्यूसी, उसके पते, मजदूर द्वारा उससे संपर्क के तरीके वगैरह के बारे में और जानकारियां दी जा सकती हैं।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

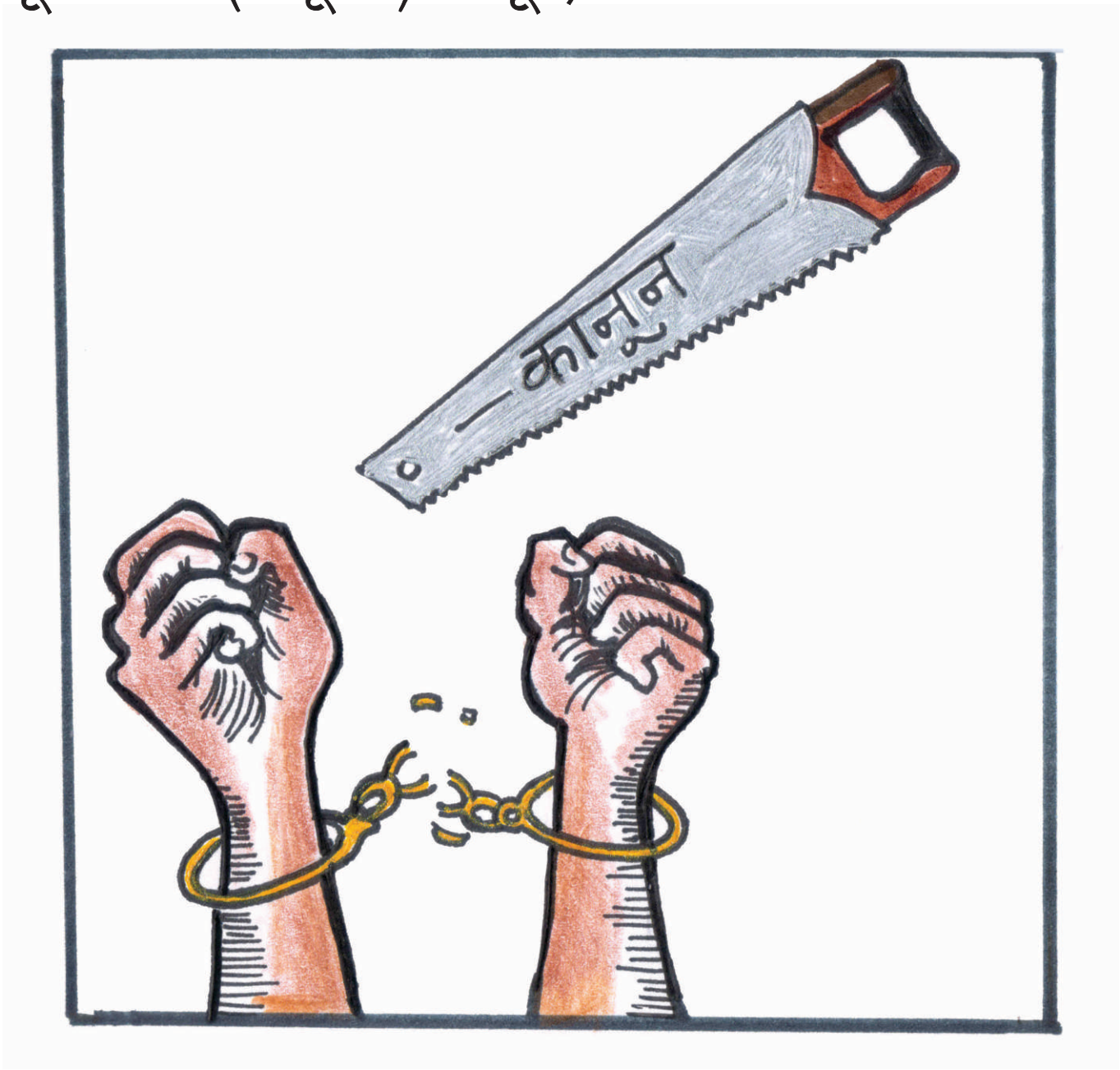

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

इस कानून के बारे में

इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी प्रवासी मजदूर बीएलएसए के कानून के तहत आते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर मजदूर नौकरी पर जाने से पहले ठेकेदार या मालिक से पेशगी भुगतान ले चुके होते हैं, उनके साथ एक करार कर लेते हैं और इस तरह वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो चुके होते हैं। इसके कारण उन्हें आमतौर पर तय मजदूरी से कम दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा कोई भी समझौता, परंपरा/रीति-रिवाज या करार गैर-कानूनी और रद्द माना जाएगा जिसके मार्फत किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करना पड़ता हो। इस कानून के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं।

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों में भी बंधुआ मजदूरी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है।

गांवों से शेहरी इलाकों की तरफ या एक जिले से दूसरे जिले की तरफ मजदूरों के प्रवासन से बंधुआ मजदूरी का एक कभी न टूटने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

ठेका और प्रवासी मजदूरों के काम के हालात, खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी पर पाबंदी और न्यूनतम मजदूरी जैसे कानूनों को बहुत कामचलाऊ ढंग से लागू किया जताा है इसलिए हमारे देश में आज भी यह प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है।

लिहाजा, यह समझना भी बहुत जरूरी है कि मजदूरों में भी प्रवासी मजदूर सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं।

मजदूर संगठनों और नागर समाज के साथ मिलकर सरकार को सख्ती से और संकल्प के साथ मौजूदा कानूनों को लागू करना चाहिए।

इस कानून के प्रवधान

वैसे तो यह एक केंद्रीय कानून है मगर इस को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर होती है।

बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है जो इस कानून के तहत जिला स्तर पर बनाई गई विजिलेंस कमेटी का अध्यक्ष होता है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

विजिलेंस कमेटी जिला मजिस्ट्रेट को सलाह देती है। वह इस बात पर नजर रखती है कि डीएम के दिशानिर्देशों के तहत इस कानून का अच्छी तरह पालन किया जाए। यह समिति मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए की जा रही कोशिशों में तालमेल रखती है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून पर नजर रखने का जिम्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास रहता है। भट्टों में जबरन मजदूरी के मामलों में आयोग के पास लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यह शिकायत भेज सकता है जिससे जबरन या बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी ओर से कोई भी समाजसेवी नागरिक यह शिकायत भेज सकता है।

यह मामला इलाके के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या संबंधित जिले अथवा सब-डिविजन की विजिलेंस कमेंटी के किसी सदस्य के सामने भी उठाया जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

उपलब्ध समाधान

बंधुआ मजदूर को फौरन मुक्त कराया जाना जरूरी होता है। उसको मुक्त कराने के साथ ही उसका वह कर्जा भी खत्म मान लिया जाता है जिसके बदले में उसे बंधुआ बनाया गया था।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को उस आवासीय पट्टे या मकान से हटाया भी नहीं जाता है जहां उसे बंधुआ मजदूरी के दौरान रखा जा रहा था।

रिहा कराए गए मजदूरों के पुनर्वास के लिए यह सहायता दी जाती है :

- प्रत्येक वयस्क पुरुष लाभान्वित को एक लाख रुपये का भुगतान कराया जाता है;
- विशेष श्रेणी के लाभान्वितों को दो लाख रुपये दिए जाते हैं। इस श्रेणी में बंधुआ बाल मजदूर भी आते हैं। अनाथ या ऐसे बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं जो संगठित और जबरन भीख मंगवाने वाले गिरोहों के शिकार रहे हों या उनसे किसी प्रकार की अन्य बाल मजदूरी जबरन कराई जा रही हो; तथा

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

- भयानक अभावों या हाशियाई स्थितियों में फंसे बंधुआ या जबरन मजदूरी के शिकार लागों को तीन लाख रुपये की राहत दी जाती हैं। इस श्रेणी में वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी आदि यौन शोषण के केंद्रों से मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिलाओं या बच्चों, अथवा खरीद-फरोख्त के शिकार या विकलांग व्यक्तियों को रखा जाता है।

बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना 2016 में राज्य सरकार विकलांगों, महिला बंधुआ मजदूरों या बंधुआ बाल मजूदरों की जरूरतों पर खास ध्यान देती है। सरकार बंधुआ बाल मजदूरों के क्षमतावर्धन के लिए सुरक्षित अवसर और माहौल मुहैया कराती है, उनकी समुचित शिक्षा के लिए सुविधाएं देती है, और कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए उन्हें अल्पकालिक आवास की सुविधा प्रदान करती है।

ऊपर जिन लाभों का ब्यौरा दिया गया है इनके अलावा लाभान्वितों को वे सभी नकद या गैर-नकद लाभ भी मुहैया कराए जाएंगे जो उन्हें किसी भी दूसरी योजना या कानून के तहत मिल सकते हैं।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) कानून, 1976 के तहत बच्चों के अधिकार

उपरोक्त लाभों के अलावा निम्नलिखित लाभ भी दिए जाएंगे :

- आवासीय पट्टे और खेती की जमीन का एलॉटमेंट किया जाएगा
- भूमि विकास
- सस्ता आवास
- पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि
- उजरती रोजगार, न्यूनतम मजदूरी प्रावधान का क्रियान्वयन
- लघु वन उत्पादों का संग्रह और प्रसंस्करण
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत जरूरी खाद्य पदार्थों की आपूति
- बच्चों की शिक्षा

अगर कहीं बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है तो पुलिस अधिकारियों से मदद ली जा सकती है या चाइल्डलाइन पर 1098 नंबर पर फोन करके मदद मांगी जा सकती है।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

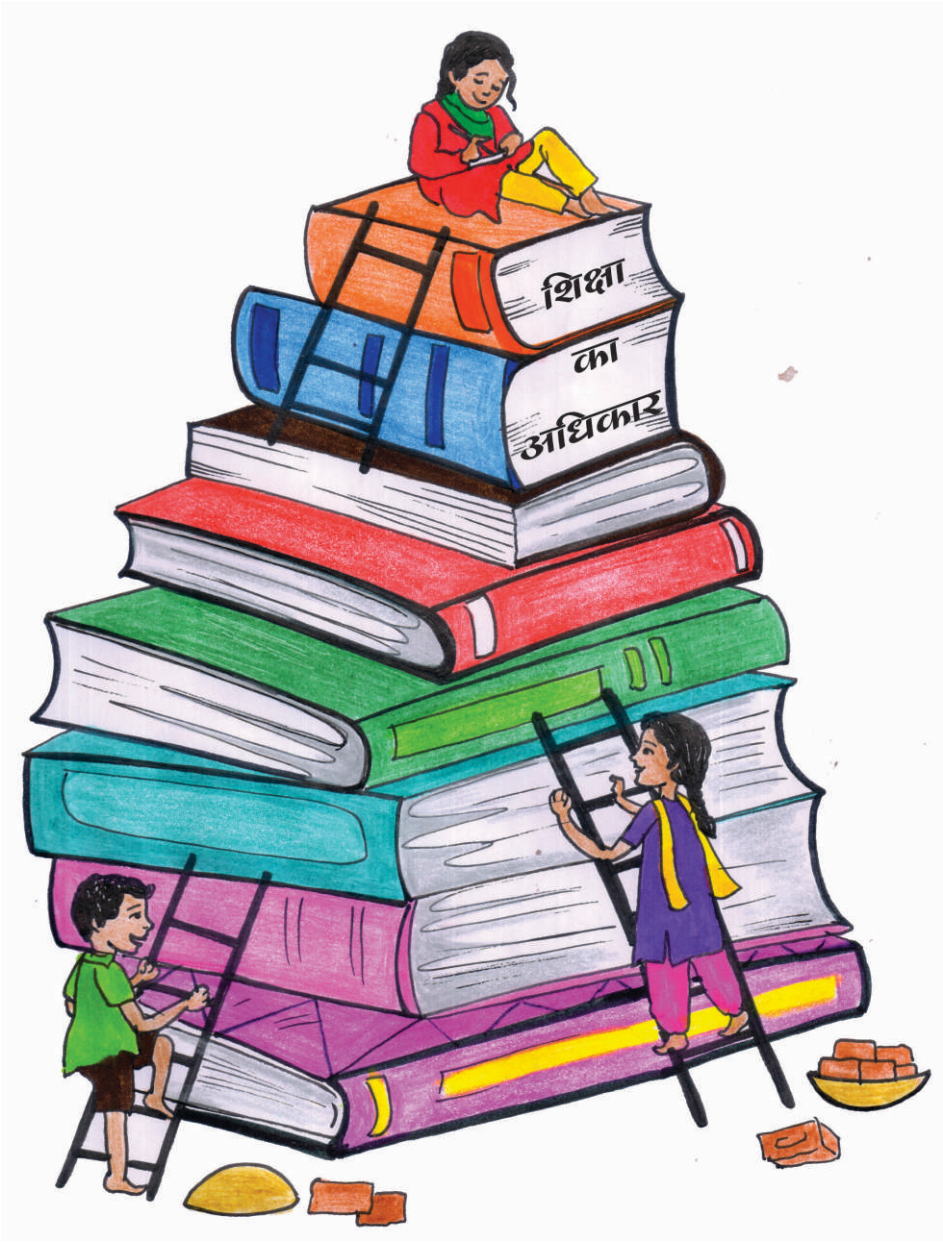

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

इस कानून के बारे में

इस कानून को शिक्षा अधिकार कानून (राइट टू एजुकेशन - आरटीई) भी कहा जाता है। आरटीई कानून के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ६ से १४ साल के सभी बच्चों की निशुल्क शिक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा, शासन (सभी स्तरों पर) की जिम्मेदारी है कि ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला मिले, वे लगातार स्कूल आएं और अपनी पढ़ाई पूरी करें।

आरटीई कानून की धारा १० के तहत प्रत्येक माता-पिता और अभिभावक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे ६ से १४ साल तक के अपने सभी बच्चों का पड़ोस के स्कूल में दाखिला कराएं ताकि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

धारा ८ में 'अनिवार्य शिक्षा' को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को दाखिला मिले, वे लगातार स्कूल आएं और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे या उसके माता-पिता को किसी तरह का प्रत्यक्ष खर्चा (स्कूल की फीस) या अप्रत्यक्ष खर्चा (वर्दी, पाठ्यपुस्तकों की कीमत, मिड-डे मील, आने-जाने की लागत वगैरह) वहन नहीं करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग इस कानून के तहत दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेगा और इस मद में आने वाली किसी भी तरह की शिकायतों की जांच करेगा। अगर आयोग को किसी मद में कोई कमी दिखाई देती है तो दोषियों को सजा देने के लिए आयोग के पास दीवानी न्यायालय के तौर पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

उपलब्ध समाधान

जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं या अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वे भी वापस स्कूल जा सकते हैं। ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुकूल कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।

जो बच्चे गरीब हैं या किसी भी ढंग से अभावग्रस्त अथवा वंचित स्थिति में हैं उन्हें किसी निजी स्कूल में कक्षा ८ तक की निशुल्क शिक्षा मिल सकती है।

अगर किसी बच्चे के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट या आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं हैं तो भी स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को फौरन दाखिला दे।

स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों की परीक्षा नहीं ली जा सकती।

जब तक बच्चे कक्षा ८ तक की पढ़ाई पूरी न कर लें तब तक न तो उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है और न ही किसी कक्षा में फेल किया जा सकता है।

सभी राज्य सरकारों को राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एससीपीसीआर) अथवा शिक्षा अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण (राइट टु एजुकेशन प्रोटक्शन अथॅरिटी - आरईपीए) का गठन करना

होगा। ये संस्थाएं इस कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस मद में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह स्थानीय अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है।

इस तरह की शिकायतों/अपीलों पर फैसला एससीपीसीआर और आरईपीए द्वारा दिया जाएगा। इस मद में दोष सिद्ध होने पर संबंधित दोषियों को सजा देने के लिए उचित स्तर के सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति आवश्यक होगी।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009

चुनौतियां

इस कानून में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अगर मां-बाप अपने काम के सिलसिले में (खासतौर से प्रवासी मजदूर) समय-समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो सरकार या स्थानीय निकाय उनके बच्चों की स्कूल में हाजिरी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

बहुत सारे बच्चों को मुख्य रूप से इसी कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अल्पसंख्यक समूह या अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के परिवार से होते हैं।

इसी वजह से आरटीई कानून के तहत संबंधित उचित शासकीय निकायों एवं स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई कि वे "यह सुनिश्चित करें कि कमजोर तबकों के बच्चों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और उन्हें किसी भी आधार पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरी करने से न रोका जाए।"

बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा करने वाली संस्थाएं

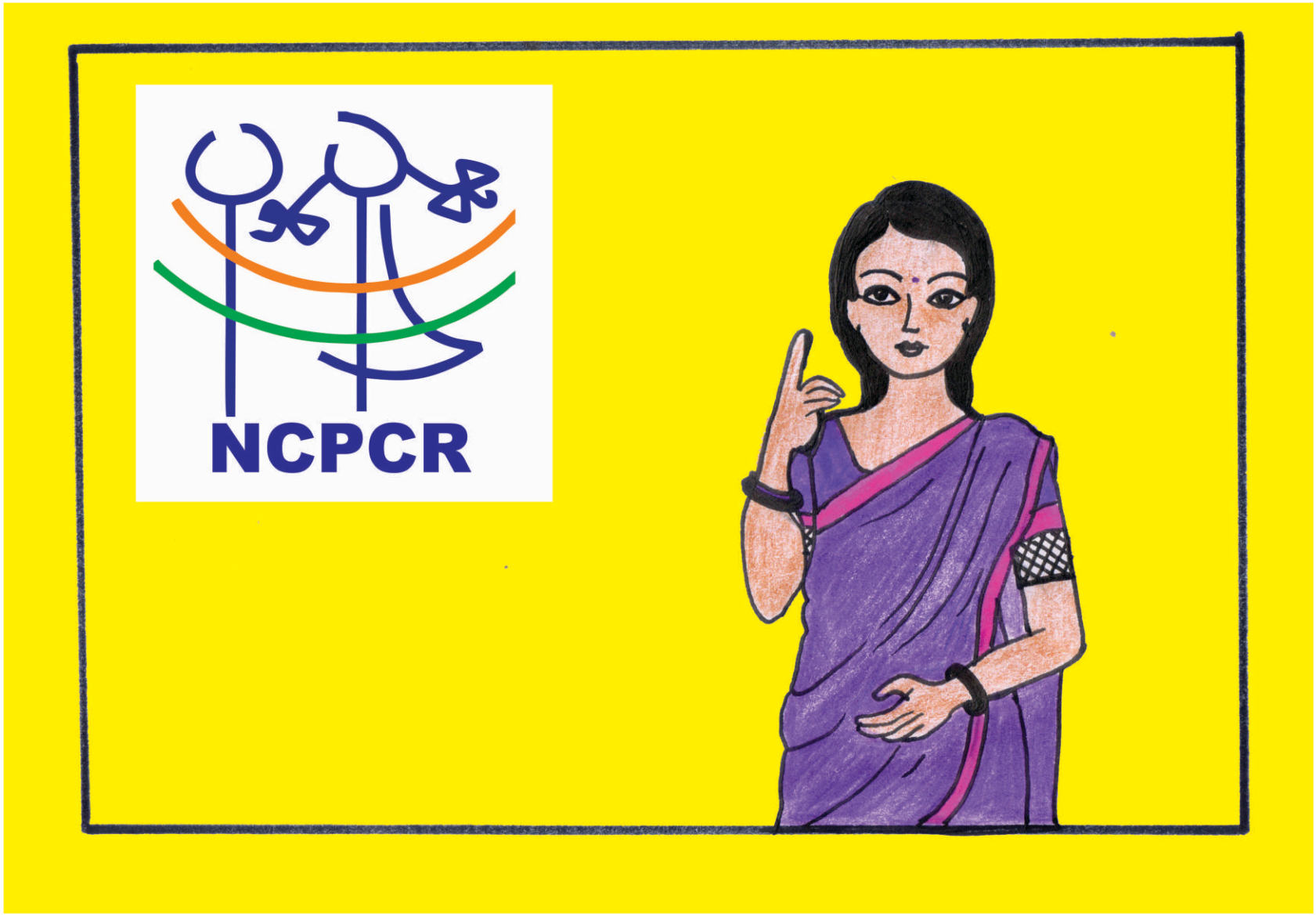

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर)

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन बाल अधिकार सुरक्षा आयोग कानून, 2005 के तहत मार्च 2007 में किया गया था।

यह आयोग बच्चों से संबंधित सारे कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं शासकीय प्रक्रियाओं पर नजर रखता है ताकि भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएनसीआरसी) में दिए गए बच्चों के सभी अधिकारों की रक्षा की जा सके।

सभी बच्चे अपने मूलभूत और अविभाज्य अधिकारों का लाभ उठा सकें, इसके लिए एनसीपीसीआर को अधिकार दिया गया है कि वह देश भर में बच्चों से संबंधित संवैधानिक गारंटियों, राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर नजर रखे और सभी नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य को शामिल करने पर जोर दे।

आयोग को अधिकार है कि अगर देश में कहीं भी बच्चों के अधिकारों की अवहेलना के गंभीर मामने सामने आते हैं तो आयोग ऐसी घटनाओं का खुद संज्ञान ले सकता है। इनमें बच्चों के खिलाफ होने वाली बाल उत्पीड़न एवं यौन अपराधों की घटनाएं, बच्चों की खरीद-फरोख्त एवं बाल मजदूरी की घटनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, बाल आयोग इस बात की जांच कर सकता है कि बच्चों के अधिकार किन चीजों से बाधित हो रहे हैं।

एनसीपीसीआर की ये जिम्मेदारियां भी हैं :

शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) तथा यौन अधिकारों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत निगरानी एजेंसी की जिम्मेदारी भी आयोग को ही सौंपी गई है।

- जिन बच्चों को विशेष देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत है, उनके मामलों की जांच करना और उन पर नजर रखना। इनमें संकटग्रस्त हालात में फंसे बच्चे, हाशियाई और वंचित बच्चे, गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त बच्चे, बाल/किशोर अपराधी, गैर-कानूनी गतिविधियों में फंसे बच्चे, बिना परिवार वाले बच्चे और कैदियों के बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में आयोग उचित उपचारक कदम उठाने के लिए निर्देश दे सकता है।
- समाज के विभिन्न तबकों में बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य माध्यमों से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- भट्टों के मामले में एनसीपीसीआर यह जानने के लिए सर्वेक्षण और जांच कर सकता है कि भट्टों के आसपास क्रेच/बालवाड़ियां और स्कूल उपलब्ध हैं या नहीं।

क्रियाकलाप

1. संविधान की ८वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में आयोग के पास लिखित शिकायत भेजी जा सकती है।
2. ऐसी किसी भी तरह की शिकायत पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3. शिकायत में उस स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिसके चलते शिकायत दर्ज कराई जा रही है।
4. अगर आयोग को आवश्यक लगता है तो आयोग अतिरिक्त जानकारियां/हलफनामे मांग सकता है।
5. आयोग ऐसी सभी शिकायतों की जांच करता है और निम्नलिखित मामलों में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करता है :

   I. बाल अधिकारों का अभाव और उल्लंघन
   ii. बच्चों की सुरक्षा और विकास से संबंधित कानूनों को लागू न करना
   iii. बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित नीतिगत फैसलों, दिशानिर्देशों या आदेशों का पालन न होना। आयोग ऐसे मामलों में संबंधित निकायों को भी निर्देश दे सकता है।

2. बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)

इन समितियों का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) कानून, २००० तथा संशोधन कानून २००६ के तहत किया गया था।

ये समितियां ऐसे बच्चों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर ध्यान देती हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

इस समिति के पास देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे को उसके माता-पिता, अभिभावक, उचित व्यक्ति या उचित संस्था के पास भेजने का पूरा अधिकार है।

3. किशोर न्याय बोर्ड (जुविनाइल जस्टिस बोर्ड - जेजेबी)

इन बोड्र्स का गठन भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व सुरक्षा) कानून २००० तथा संशोधन कानून, २००६ के तहत ही किया गया था।)

एक पृथक न्यायालय के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किशोर अपराधियों को सजा देने की बजाय सामाजिक पुनर्वास एवं सुधार का पूरा अवसर दिया जाए।

जेजेबी में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इनमें से कम से कम एक कार्यकर्ता महिला होनी चाहिए।

अगर कोई भी बच्चा गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उसें २४ घंटे के भीतर अदालत में हाजिर करना होता है।

जेजेबी को हर मामले पर चार महीने के भीतर फैसला सुनाना होता है।

4. अन्य संस्थाएं

बाल मजदूरी तथा अन्य मामलों की शिकायतें निकटतम पुलिस थाने, राज्य के श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त (असिस्टेंट लेबर कमिश्नर), क्षेत्रीय अधिकारियों, श्रम क्रियान्वयन अधिकारियों या चाइल्डलाइन के पास दर्ज कराई जा सकती हैं।

बच्चों के लिए उपलब्ध नीतियां व कार्यक्रम

1. उत्तरजीविका एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा (ईसीसीई)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति को २०१३ में मंजूरी दी थी।

यह नीति ६ साल तक की उम्र के सभी बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। यह नीति सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी।

ईसीसीई को लागू करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल विभाग बनाया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास ही है। आईसीडीएस केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया ईसीसीई कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग १४ लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से तकरीबन ३.८ करोड़ बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था लालन-पालन एवं शिक्षा प्रदान की जाती है।

आईसीडीएस में पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्कूल-पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवाओं और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाओं का एक समेकित पैकेज बच्चों को मिलता है।

1. उत्तरजीविका एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा (ईसीसीई)

बच्चों का मनोसामाजिक विकास और उन्हें स्कूल में दाखिले के लिए तैयार करना ईसीसीई का एक मुख्य उद्देश्य है।

आईसीडीएस और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से २०११ में एक सर्कुलर जारी करके आईसीडीएस सेवाओं को प्रवासी मजदूरों और अल्पकालिक निवासियों के बच्चों के लिए भी लागू किया गया था। इसके लिए प्रावधान किया गया था कि जहां प्रवासी मजदूर रहते हैं वहां भी लघु आंगनवाड़ियां खोली जाएंगी। आईसीडीएस परियोजना के तहत आंगनवाड़ियां खोलने और चलाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सौंपी गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी इन केंद्रों की स्थापना और संचालन पर नजर रखने वाला मुख्य अधिकारी होता है। मजदूर इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ पाने के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर अपने बच्चों के नाम लिखा सकते हैं।

2. समेकित बाल सुरक्षा सेवा (आईसीपीएस)

यह एक समग्र कार्यक्रम है जो सरकार व नागर समाज की साझेदारी के माध्यम से संवेदनशील एवं शोषण की स्थितियों में फंसे बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

इस कार्यक्रम में पहले से मौजूद बाल सुरक्षा योजनाओं को भी कवर किया गया है और बच्चों को किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रावधान किया गया है।

आईसीपीएस :
बच्चों की सुरक्षा, खासतौर से कठिन परिस्थितयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित सेवाएं, संरचना और कर्मचारी मुहैया कराने का कार्यक्रम

मूलभूत सेवाओं को संस्थागत रूप देना और महत्वपूर्ण संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना, सभी स्तरों पर मौजूद अधिकारियों का क्षमतावर्द्धन करना, बाल सुरक्षा सेवाओं के लिए डेटाबेस एवं ज्ञान आधार तैयार करना, परिवार एवं समुदाय के स्तर पर बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना, सभी स्तरों पर अंतर्क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की व्यवस्था करना आईसीपीएस का मुख्य उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम में संकटग्रस्त या संवेदनशील परिवारों के बच्चों के लिए देखभाल और पुनर्वास की वैधानिक सेवाओं का भी बंदोबस्त किया गया है। ईंट भट्टों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों, चरम विपन्नता की स्थिति में जी रहे परिवारों, सामाजिक रूप से अभावग्रस्त परिवारों, भेदभाव के शिकार या प्रभावित परिवारों के बच्चे, अलपसंख्यक, बाल भिखारी, खरीदे-बेचे गए या यौन शोषण के शिकार बच्चे, कैदियों के बच्चे और सड़कों पर रहने तथा काम करने वाले बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं।

जिला एवं उप-जिला स्तर पर आईसीपीएस के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर आती है :

आईसीपीएस :
बच्चों की सुरक्षा, खासतौर से कठिन परिस्थितयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित सेवाएं, संरचना और कर्मचारी मुहैया कराने का कार्यक्रम

(क) जिला स्तर पर

- जिला बाल सुरक्षा इकाई (डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट)
- बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी)
- किशोर न्याय बोर्ड (जुविनाइल जस्टिस बोर्ड - जेजेबी)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुविनाइल पुलिस कमेटी)
- प्रायोजित दत्तकता देखभाल स्वीकृति समिति (स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी)
- जिला निरीक्षण समिति (डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी)

आईसीपीएस :
बच्चों की सुरक्षा, खासतौर से कठिन परिस्थितयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित सेवाएं, संरचना और कर्मचारी मुहैया कराने का कार्यक्रम

ख. उप-जिला स्तर पर

- ब्लॉक स्तरीय बाल सुरक्षा समिति (ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी)
- ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति (विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी)

इसके अलावा, आईसीपीएस परियोजना में चाइल्डलाइन सेवाओं का भी प्रयोग किया जाता है ताकि संकटग्रस्त बच्चों को इमरजेंसी आउटरीच सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।

3. सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

एसएसए योजना प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष हस्तक्षेप पर जोर देती है। मोबाइल स्कूलों की स्थापना, भाषा अध्यापकों की नियुक्ति, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए अभियान, शिक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं। मगर, अभी तक इन प्रावधानों का क्रियान्वयन ढीला ही दिखाई देता है।

शहरों में वंचित तबकों के बच्चों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, बैक टू स्कूल शिविर, निर्माण स्थलों पर अल्पकालिक स्कूल, मोबाइल स्कूल आदि विशेष स्कूल तथा लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल, शेल्टर होम और शौचालय जैसी सुविधाएं भी इस योजना का हिस्सा हैं।

जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है :

- उनके लिए सीज़नल छात्रावास तथा आवासीय शिविर चलाए जाएंगे ताकि जिन इलाकों से मजदूर काम के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए;
- जहां प्रवासी परिवार मजदूरी कर रहे हैं, वहां कार्यस्थल पर स्कूल खोले जाएं; तथा

3. सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

- स्कूल न जाने वाले बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स/रेमेडियल कोर्स चलाए जाएं।

एसएसए के तहत "शहरी वंचित बच्चों" के लिए भी एक परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना प्रवासी मजदूरों, सड़कों पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों, बाल मजदूरों आदि के लिए शुरू की गई है।

सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना एसएसए का मुख्य उद्देश्य है। डीपीईपी (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) और एसएसए के तहत प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूलों के माध्यम से ऐसे इलाकों को भी कवर किया गया है जो अभी तक शिक्षा की सुविधाओं से वंचित थे।

प्रत्येक बच्चे को उसके घर के आसपास ही शिक्षा प्रदान करना एसएसए का एक मुख्य उद्देश्य है। इस तरह, प्रत्येक बच्चे को उसके घर से एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल की और तीन किलोमीटर के भीतर अपर प्राइमरी स्कूल की सुविधा दी गई है। एसएसए के तहत नियमित रूप से सरकार दाखिला अभियान चलाती है। इसमें स्थानीय शैक्षिक संगठनों और नागर समाज संगठनों की भी सहायता ली जाती है।

मुख्य बातें

18 साल तक की उम्र के व्यक्ति को 'बच्चा' माना जाता है। सिवाय उन स्थितियों के कि जहां बच्चे की परिभाषा कुछ और बताई गई हो।

अपने माता और पिता, दोनों के साथ मिलने-रहने, मानवीय पहचान प्राप्त करने और शारीरिक सुरक्षा, भोजन, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना बच्चे के अधिकारों में आता है।

ईंट भट्टों की कठोर जीवन एवं कार्य परिस्थितयों का सबसे बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है।

बाल मजदूरी से बच्चों पर दीर्घकालिक शारीरक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ते हैं।

भारत के कानून में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भट्टों पर बच्चों या किशोर-किशोरियों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती क्योंकि ईंट भट्टों को खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है।

बच्चों के हितों की रखा के लिए ये कदम उठाए जाते हैं :

- इनकी स्थिति के बारे में पुलिस या चाइल्डलाइन को जानकारी दें।

मुख्य बातें

- सुनिश्चित करें कि चाइल्डलाइन की तरफ से बच्चे को काउंसलिंग और कानूनी सेवाएं मुहैया कराई जाएं।
- सामुदायिक सहायता जुटाएं
- अपने कानूनों को जानें।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व सुरक्षा) कानून, शिक्षा अधिकार कानून तथा बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

एनसीपीसीआर बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित शीर्षस्थ संस्था है। यह आयोग बच्चों की जरूरतों और हितों पर ध्यान देता है और साथ ही ऊपर उल्लिखित कानूनों के सही ढंग से लागू करवाने पर नजर रखता है।

एसएसए, ईसीसीई और आईसीडीएस जैसी नीतियां और कार्यक्रम बच्चों की जरूरतों और हितों की रक्षा के लिए ही शुरू किए गए हैं।

By

BUILDING A WIDER HORIZON
CEC
WITH LABOUR

In partnership with

प्रयास Prayas
www.prayaschittor.org

terre des hommes
Help for Children in Need

Funded By the European Union